

संख्या-477/III(2)/18-37(सामान्य)/2017

प्रेषक,

ओम प्रकाश,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 19 सितम्बर, 2018

विषय- वनभूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में बाधित वृक्षों के पातन, कटान एवं डिपो तक ढुलान का व्यय वहन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1216/22 बजट(एन0पी0वी0)/2017-18 दिनांक 13.11.2017 एवं पत्र संख्या-117/22 बजट(एन0पी0वी0)/2018-19 दिनांक 28.05.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वनभूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों में बाधित वृक्षों के पातन, वृक्षों के कटान एवं डिपो तक ढुलान आदि पर होने वाले व्यय हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा धनावटन की माँग प्रयाक्ता विभाग से किये जाने के प्रकरण पर यथोचित दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र दिनांक 11.12.2008 तथा इसके अनुक्रम में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के स्थायी आदेश संख्या-3830/13-1/विकास कार्य/रॉयल्टी दिनांक 14.09.2016 में उल्लिखित व्यवस्था "विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में देय एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पथ वृक्षारोपण एवं अन्य मदों की धनराशि को छोड़कर आवंटी लौटों के वृक्षों के निस्तारण में होने वाले व्यय का भुगतान की धनराशि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार उत्तराखण्ड वन विकास निगम को की जायेगी, ताकि विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आवंटित लौटों का त्वरित गति से निस्तारण किया जा सके" के आलोक में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वनभूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में बाधित वृक्षों के पातन, कटान एवं डिपो तक ढुलान आदि पर होने वाले व्यय का उत्तराखण्ड वन विकास निगम को नियमानुसार भुगतान, लोक निर्माण विभाग के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत एन0पी0वी0 का भुगतान मद में उपलब्ध बजट प्राविधान से किया जाना सुनिश्चित करें।

1.7

Upload on  
22/9/18

भवदीय

(ओम प्रकाश)  
अपर मुख्य सचिव

(देवेन्द्र शाह)

प्रमुख अभियन्ता